निबंधित/ईमेल

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

परिवहन विभाग पत्रांक–06/SLD(Ecogas)17–04/2026 7255 पटना, दिनांक:– 01-07-26

आदेश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना सं0–290 (अ) दिनांक– 15.04.2015, अधिसूचना सं0–424(अ) दिनांक–01.05.2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं AIS-018/2001, AIS-037/2004, AIS-004/1999 भाग (3) के अनुरूप प्रकाशित गजट तथा विभागीय परिपत्र सं0–3020, दिनांक–08.06.2017 के आलोक में कंडिका–1 से 9 तक में वर्णित शर्तो के अधीन गति नियंत्रण विनिर्माता फर्म M/S Ecogas Impex Pvt. Ltd. के निम्नांकित SLD मॉडल/वैरियन्ट को परिवहन यानों में लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	SLD मॉडल	टी0ए0सी0नं0/दिनांक	Cop वैधता	कुल वैरियन्ट की संख्या
1.	ECO-F-10 (FUEL CONTROLLED TYPE)	AD0342/19.02.2013	31.03.2027	36

1. विनिर्माता फर्म द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम–126 द्वारा निर्धारित Type Approval Certificate एवं नियम–118 के अनुरूप समय–समय पर यथा संशोधित नियमों का पालन किया जायेगा।
2. यह अनुमति भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पारित किए गए आदेश से प्रभावित हो सकेगी।
3. विनिर्माता/वेन्डर द्वारा समर्पित किए गए वैरियन्ट/मॉडल के वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अन्तर का सुधार परिवहन विभाग (मूख्यालय) स्तर से किया जा सकेगा।
4. फर्म/वितरक/डीलर के द्वारा विभागीय परिपत्र सं0–3020, दिनांक–08.06.2017 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएया।
5. फर्म के द्वारा अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा साथ साथ ही COP निर्धारित तिथि के मानक के अनुरूप मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
6. यदि फर्म के द्वारा समर्पित अभिलेखों/कागजातों एवं प्रस्तुत सूचना के गलत पाये जाने की पुष्टि होती है तो किसी भी समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके प्राधिकार पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही कम्पनी को काली सूची में डालते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
7. जिला परिवहन पदाधिकारीयों के द्वारा SLD विनिर्माता फर्म से MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा एवं विभिन्न मॉडलों (वैरियन्ट्स) और उत्पादक की मान्य सदृश्यता (COP) की अद्यतन मान्य अवधि की जाँच तथा फर्म के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं उनके कार्य स्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।
8. जिला परिवहन पदाधिकारीयों के द्वारा प्रत्येक माह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित पत्र संख्या– F.15/2016/CoRS दिनांक–11.04.2017 के आलोक में SLD युक्त वाहन को जारी किये गये फिटनेस प्रमाण पत्र की पंजी एजेंसीवार/माहवार जिसमें गति नियंत्रक के प्रकार यथा फ्यूल कंट्रोल, एक्सीलेरेटर केवल कंट्रोल आदि संधारित करते हुए उद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. विनिर्माता फर्म को उपरोक्त के अलावे अन्य SLD मॉडल/वैरियन्ट हेतु अलग से आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

29.7.26

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

630 D:\28-10-24\ssd data\Sec-06\Sneha Swati\SS Letter 26.DOCX

निबंधित/ईमेल

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

परिवहन विभाग पत्रांक–06/SLD(Ecogas)17–04/2026 पटना, दिनांकः–

आदेश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना सं0–290 (अ) दिनांक– 15.04.2015, अधिसूचना सं0–424(अ) दिनांक–01.05.2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं AIS-018/2001, AIS-037/2004, AIS-004/1999 भाग (3) के अनुरूप प्रकाशित गजट तथा विभागीय परिपत्र सं0–3020, दिनांक–08.06.2017 के आलोक में कंडिका–1 से 9 तक में वर्णित शर्तो के अधीन गति नियंत्रण विनिर्माता फर्म M/S Ecogas Impex Pvt. Ltd. के निम्नांकित SLD मॉडल/वैरियन्ट को परिवहन यानों में लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	SLD मॉडल	टी0ए0सी0नं0/दिनांक	Cop वैधता	कुल वैरियन्ट की संख्या
1.	ECO-F-10 (FUEL CONTROLLED TYPE)	AD0342/19.02.2013	31.03.2027	36

1. विनिर्माता फर्म द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम–126 द्वारा निर्धारित Type Approval Certificate एवं नियम–118 के अनुरूप समय–समय पर यथा संशोधित नियमों का पालन किया जायेगा।
2. यह अनुमति भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पारित किए गए आदेश से प्रभावित हो सकेगी।
3. विनिर्माता/वेन्डर द्वारा समर्पित किए गए वैरियन्ट/मॉडल के वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अन्तर का सुधार परिवहन विभाग (मूख्यालय) स्तर से किया जा सकेगा।
4. फर्म/वितरक/डीलर के द्वारा विभागीय परिपत्र सं0–3020, दिनांक–08.06.2017 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएया।
5. फर्म के द्वारा अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा साथ साथ ही COP निर्धारित तिथि के मानक के अनुरूप मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
6. यदि फर्म के द्वारा समर्पित अभिलेखों/कागजातों एवं प्रस्तुत सूचना के गलत पाये जाने की पुष्टि होती है तो किसी भी समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके प्राधिकार पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही कम्पनी को काली सूची में डालते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
7. जिला परिवहन पदाधिकारीयों के द्वारा SLD विनिर्माता फर्म से MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा एवं विभिन्न मॉडलों (वैरियन्ट्स) और उत्पादक की मान्य सदृश्यता (COP) की अद्यतन मान्य अवधि की जाँच तथा फर्म के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं उनके कार्य स्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।
8. जिला परिवहन पदाधिकारीयों के द्वारा प्रत्येक माह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित पत्र संख्या– F.15/2016/CoRS दिनांक–11.04.2017 के आलोक में SLD युक्त वाहन को जारी किये गये फिटनेस प्रमाण पत्र की पंजी एजेंसीवार/माहवार जिसमें गति नियंत्रक के प्रकार यथा फ्यूल कंट्रोल, एक्सीलेरेटर केवल कंट्रोल आदि संधारित करते हुए उद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. विनिर्माता फर्म को उपरोक्त के अलावे अन्य SLD मॉडल/वैरियन्ट हेतु अलग से आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

630 (D:\28-10-24\sd data\Sec-06\Sneha Swati\SS Letter 26.DOCX

ज्ञापांक :–06/SLD(Ecogas)-17–04/2026 7255 पटना, दिनांकः– 01-09-26

प्रतिलिपि :– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.7.26

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

631 [D:\28-10-24\sad data\Sec-06\Sneha Swati\SS Letter 26.DOCX

निबंधित/ईमेल

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

परिवहन विभाग पत्रांक–06/SLD(Ecogas)17–04/2026 पटना, दिनांकः–

आदेश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना सं0–290 (अ) दिनांक– 15.04.2015, अधिसूचना सं0–424(अ) दिनांक–01.05.2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं AIS-018/2001, AIS-037/2004, AIS-004/1999 भाग (3) के अनुरूप प्रकाशित गजट तथा विभागीय परिपत्र सं0–3020, दिनांक–08.06.2017 के आलोक में कंडिका–1 से 9 तक में वर्णित शर्तो के अधीन गति नियंत्रण विनिर्माता फर्म M/S Ecogas Impex Pvt. Ltd. के निम्नांकित SLD मॉडल/वैरियन्ट को परिवहन यानों में लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	SLD मॉडल	टी0ए0सी0नं0/दिनांक	Cop वैधता	कुल वैरियन्ट की संख्या
1.	ECO-F-10 (FUEL CONTROLLED TYPE)	AD0342/19.02.2013	31.03.2027	36

1. विनिर्माता फर्म द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम–126 द्वारा निर्धारित Type Approval Certificate एवं नियम–118 के अनुरूप समय–समय पर यथा संशोधित नियमों का पालन किया जायेगा।
2. यह अनुमति भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पारित किए गए आदेश से प्रभावित हो सकेगी।
3. विनिर्माता/वेन्डर द्वारा समर्पित किए गए वैरियन्ट/मॉडल के वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अन्तर का सुधार परिवहन विभाग (मुख्यालय) स्तर से किया जा सकेगा।
4. फर्म/वितरक/डीलर के द्वारा विभागीय परिपत्र सं0–3020, दिनांक–08.06.2017 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएया।
5. फर्म के द्वारा अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा साथ साथ ही COP निर्धारित तिथि के मानक के अनुरूप मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
6. यदि फर्म के द्वारा समर्पित अभिलेखों/कागजातों एवं प्रस्तुत सूचना के गलत पाये जाने की पुष्टि होती है तो किसी भी समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके प्राधिकार पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही कम्पनी को काली सूची में डालते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
7. जिला परिवहन पदाधिकारीयों के द्वारा SLD विनिर्माता फर्म से MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा एवं विभिन्न मॉडलों (वैरियन्ट्स) और उत्पादक की मान्य सदृश्यता (COP) की अद्यतन मान्य अवधि की जाँच तथा फर्म के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं उनके कार्य स्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।
8. जिला परिवहन पदाधिकारीयों के द्वारा प्रत्येक माह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित पत्र संख्या– F.15/2016/CoRS दिनांक–11.04.2017 के आलोक में SLD युक्त वाहन को जारी किये गये फिटनेस प्रमाण पत्र की पंजी एजेंसीवार/माहवार जिसमें गति नियंत्रक के प्रकार यथा फ्यूल कंट्रोल, एक्सीलेरेटर केवल कंट्रोल आदि संधारित करते हुए उद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. विनिर्माता फर्म को उपरोक्त के अलावे अन्य SLD मॉडल/वैरियन्ट हेतु अलग से आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–06/SLD(Ecogas)-17–04/2026 पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–06/SLD(Ecogas)-17–04/2026 7255 पटना, दिनांकः– 01-09-26

प्रतिलिपि :–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि विनिर्माता कम्पनी को ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने के पूर्व MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करा लेंगें तथा विनिर्माता कंपनी के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं कार्यस्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगें कि किसी भी व्यवसायिक वाहन के फिटनेस प्रमाण–पत्र का निर्गमन गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने के पश्चात् ही किया जाय।

27.7.26

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

निबंधित/ईमेल

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

परिवहन विभाग पत्रांक–06/SLD(Ecogas)17–04/2026 पटना, दिनांकः–

आदेश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना सं0–290 (अ) दिनांक– 15.04.2015, अधिसूचना सं0–424(अ) दिनांक–01.05.2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं AIS-018/2001, AIS-037/2004, AIS-004/1999 भाग (3) के अनुरूप प्रकाशित गजट तथा विभागीय परिपत्र सं0–3020, दिनांक–08.06.2017 के आलोक में कंडिका–1 से 9 तक में वर्णित शर्तो के अधीन गति नियंत्रण विनिर्माता फर्म M/S Ecogas Impex Pvt. Ltd. के निम्नांकित SLD मॉडल/वैरियन्ट को परिवहन यानों में लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	SLD मॉडल	टी0ए0सी0नं0/दिनांक	Cop वैधता	कुल वैरियन्ट की संख्या
1.	ECO-F-10 (FUEL CONTROLLED TYPE)	AD0342/19.02.2013	31.03.2027	36

1. विनिर्माता फर्म द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम–126 द्वारा निर्धारित Type Approval Certificate एवं नियम–118 के अनुरूप समय–समय पर यथा संशोधित नियमों का पालन किया जायेगा।
2. यह अनुमति भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पारित किए गए आदेश से प्रभावित हो सकेगी।
3. विनिर्माता/वेन्डर द्वारा समर्पित किए गए वैरियन्ट/मॉडल के वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अन्तर का सुधार परिवहन विभाग (मूख्यालय) स्तर से किया जा सकेगा।
4. फर्म/वितरक/डीलर के द्वारा विभागीय परिपत्र सं0–3020, दिनांक–08.06.2017 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएया।
5. फर्म के द्वारा अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा साथ साथ ही COP निर्धारित तिथि के मानक के अनुरूप मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
6. यदि फर्म के द्वारा समर्पित अभिलेखों/कागजातों एवं प्रस्तुत सूचना के गलत पाये जाने की पुष्टि होती है तो किसी भी समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके प्राधिकार पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही कम्पनी को काली सूची में डालते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
7. जिला परिवहन पदाधिकारीयों के द्वारा SLD विनिर्माता फर्म से MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा एवं विभिन्न मॉडलों (वैरियन्ट्स) और उत्पादक की मान्य सदृश्यता (COP) की अद्यतन मान्य अवधि की जाँच तथा फर्म के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं उनके कार्य स्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।
8. जिला परिवहन पदाधिकारीयों के द्वारा प्रत्येक माह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित पत्र संख्या– F.15/2016/CoRS दिनांक–11.04.2017 के आलोक में SLD युक्त वाहन को जारी किये गये फिटनेस प्रमाण पत्र की पंजी एजेंसीवार/माहवार जिसमें गति नियंत्रक के प्रकार यथा फ्यूल कंट्रोल, एक्सीलेरेटर केवल कंट्रोल आदि संधारित करते हुए उद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. विनिर्माता फर्म को उपरोक्त के अलावे अन्य SLD मॉडल/वैरियन्ट हेतु अलग से आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–06/SLD(Ecogas)-17–04/2026 पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि विनिर्माता कम्पनी को ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने के पूर्व MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करा लेंगें तथा विनिर्माता कंपनी के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं कार्यस्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगें कि किसी भी व्यवसायिक वाहन के फिटनेस प्रमाण–पत्र का निर्गमन गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने के पश्चात् ही किया जाय।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–06/SLD(Ecogas)-17–04/2026 7255 पटना, दिनांकः– 01-05-26

प्रतिलिपि :– M/S Ecogas Impex Pvt. Ltd. Add- Plot No-51, New DLF Industrial Area, Faridabad, Haryana-121003, E-mail-info@ecogas.co.in को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आपके द्वारा अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा। विनिर्माता कम्पनी यह भी सुनिश्चित करेंगी कि Cop प्रमाण–पत्र की वैध अवधि संबंधी प्रमाण परिवहन विभाग (मुख्यालय) में ससमय जमा कर दिया जाय। अन्यथा उनके अनुमति आदेश को रद्द कर दिया जायेगा।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

निबंधित/ईमेल

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

परिवहन विभाग पत्रांक–06/SLD(Ecogas)17–04/2026 पटना, दिनांकः–

आदेश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना सं0–290 (अ) दिनांक– 15.04.2015, अधिसूचना सं0–424(अ) दिनांक–01.05.2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं AIS-018/2001, AIS-037/2004, AIS-004/1999 भाग (3) के अनुरूप प्रकाशित गजट तथा विभागीय परिपत्र सं0–3020, दिनांक–08.06.2017 के आलोक में कंडिका–1 से 9 तक में वर्णित शर्तो के अधीन गति नियंत्रण विनिर्माता फर्म M/S Ecogas Impex Pvt. Ltd. के निम्नांकित SLD मॉडल/वैरियन्ट को परिवहन यानों में लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	SLD मॉडल	टी0ए0सी0नं0/दिनांक	Cop वैधता	कुल वैरियन्ट की संख्या
1.	ECO-F-10 (FUEL CONTROLLED TYPE)	AD0342/19.02.2013	31.03.2027	36

1. विनिर्माता फर्म द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम–126 द्वारा निर्धारित Type Approval Certificate एवं नियम–118 के अनुरूप समय–समय पर यथा संशोधित नियमों का पालन किया जायेगा।
2. यह अनुमति भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पारित किए गए आदेश से प्रभावित हो सकेगी।
3. विनिर्माता/वेन्डर द्वारा समर्पित किए गए वैरियन्ट/मॉडल के वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अन्तर का सुधार परिवहन विभाग (मूख्यालय) स्तर से किया जा सकेगा।
4. फर्म/वितरक/डीलर के द्वारा विभागीय परिपत्र सं0–3020, दिनांक–08.06.2017 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएया।
5. फर्म के द्वारा अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा साथ साथ ही COP निर्धारित तिथि के मानक के अनुरूप मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
6. यदि फर्म के द्वारा समर्पित अभिलेखों/कागजातों एवं प्रस्तुत सूचना के गलत पाये जाने की पुष्टि होती है तो किसी भी समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके प्राधिकार पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही कम्पनी को काली सूची में डालते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
7. जिला परिवहन पदाधिकारीयों के द्वारा SLD विनिर्माता फर्म से MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा एवं विभिन्न मॉडलों (वैरियन्ट्स) और उत्पादक की मान्य सदृश्यता (COP) की अद्यतन मान्य अवधि की जाँच तथा फर्म के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं उनके कार्य स्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।
8. जिला परिवहन पदाधिकारीयों के द्वारा प्रत्येक माह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित पत्र संख्या– F.15/2016/CoRS दिनांक–11.04.2017 के आलोक में SLD युक्त वाहन को जारी किये गये फिटनेस प्रमाण पत्र की पंजी एजेंसीवार/माहवार जिसमें गति नियंत्रक के प्रकार यथा फ्यूल कंट्रोल, एक्सीलेरेटर केवल कंट्रोल आदि संधारित करते हुए उद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. विनिर्माता फर्म को उपरोक्त के अलावे अन्य SLD मॉडल/वैरियन्ट हेतु अलग से आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

630 |D:\28-10-24\usd data\Sec-06\Sneha Swati\SS Letter 26.DOCX

ज्ञापांक :–06/SLD(Ecogas)-17–04/2026 पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि विनिर्माता कम्पनी को ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने के पूर्व MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करा लेंगें तथा विनिर्माता कंपनी के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं कार्यस्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगें कि किसी भी व्यवसायिक वाहन के फिटनेस प्रमाण–पत्र का निर्गमन गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने के पश्चात् ही किया जाय।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–06/SLD(Ecogas)-17–04/2026 पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– M/S Ecogas Impex Pvt. Ltd. Add- Plot No-51, New DLF Industrial Area, Faridabad, Haryana-121003, E-mail-info@ecogas.co.in को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आपके द्वारा अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा। विनिर्माता कम्पनी यह भी सुनिश्चित करेंगी कि Cop प्रमाण–पत्र की वैध अवधि संबंधी प्रमाण परिवहन विभाग (मुख्यालय) में ससमय जमा कर दिया जाय। अन्यथा उनके अनुमति आदेश को रद्द कर दिया जायेगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–06/SLD(Ecogas)-17–04/2026 7255 पटना, दिनांकः– 01-09-26

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27.7.26

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।